**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2134**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**गैर-शिक्षण कार्यकलापों के कारण शिक्षा प्रणाली पर दबाव**

**2134. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी स्कूल अध्यापकों द्वारा चुनाव अथवा जनगणना जैसी गैर-शिक्षण गतिविधियों पर दिये गए कार्य के घंटे का अनुमान है;

(ख) क्या स्कूली शिक्षा प्रणाली पर से इस दबाव को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) 2014-15 के अनुसार, प्रारंभिक स्तर पर 3% शिक्षक एक वर्ष के दौरान औसतन ग्यारह दिन गैर अध्यापन कार्यों में शामिल होते हैं।

(ख) और (ग): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 27 में प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को दशकीय जनगणना, आपदा राहत कार्यों अथवा स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधान सभा या संसद के चुनावों, जैसा भी मामला हो, से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर-अध्यापन कार्य में नहीं लगाया जाएगा। विभाग ने इस संबंध में दिनांक 13.09.2010 को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

\*\*\*\*\*